आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(16)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाइन/2019–20/ 954 दिनांक : 27/01/2020

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय/वित्तपोषित विश्वविद्यालय/
वित्तपोषित महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– स्कूटी योजनाओं के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु मेधावी छात्रा स्कूटी, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 23(16)लेखा/आकाशि / छा.स्कू.यो. / 2019–20 /504 दिनांक–16.10.19 द्वारा 21.10.2019 से 20.11.2019 तक आमंत्रित किये गये थे।

राज्य में चल रही विभिन्न स्कूटी योजनाओं को इकजाई कर **"कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना"** की राज्य सरकार द्वारा बजट मे घोषणा की गई। जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु पूर्व में संचालित मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना के नियम यथावत रखे गये है किन्तु मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का नाम **"कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना"** कर दिया गया है। इस हेतु आयुक्तालय के पत्रांक–869 दिनांक–20.01.2020 द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दिनांक–08.02.2020 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये है। अतः पूर्व में संचालित नियमों के अन्तर्गत उक्त दोनो योजनाओं में प्राप्त आवेदन पत्रों को जाँच एवं प्रमाणन पश्चात् जिला नोडल अधिकारी/आयुक्तालय को दी गई समयावधि में अग्रेषित करें।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23(16)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाइन/2019–20/ 955 दिनांक : 27/01/2020
प्रतिलिपि–प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार